कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

क्रमाँक /त.क./ प्र.अ./ लो.स्वा.याँ./ भोपाल 12 दिनाँक /12/2012

परिपत्र

कुछ स्थानों पर विभागीय मशीनों द्वारा खनित नलकूपों के संबंध में यह पाया गया कि नलकूप बहुत कम गहराई के खनित किये गये हैं । ऐसे नलकूपों में जल की उपलब्धता सबसरफेस वॉटर के कारण होती है, जिसके प्रदूषित होने एवं कालांतर में जल स्तर नीचे जाने के कारण उनके सूख जाने की प्रबल संभावना होती है । ऐसे नलकूप अधिक समय तक उपयोगी नहीं रह सकेंगे ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि नलकूपों की न्यूनतम गहराई 35 मीटर से कम न रखी जाये भले ही उनमें हैंड पम्प स्थापना हेतु अपेक्षित जल क्षमता प्राप्त हो गयी हो । अपवाद स्वरूप यदि किसी गुणवत्ता प्रभावित बसाहट में, इससे कम गहराई पर पर्याप्त जल क्षमता प्राप्त हो गयी हो, एवं गहराई बढाने पर जल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पढने की आशंका हो तो ऐसे नलकूप की गहराई कम रखे जाने हेतु मुख्य अभियंता की स्वीकृति प्राप्त की जाये ।

(एन.के.सेहरा)
प्रमुख अभियंता

पृष्ठांकन क्रमाँक 13207 /त.क./ प्र.अ./ लो.स्वा.याँ./ भोपाल 12 दिनाँक 11 /12/2012

प्रतिलिपि :

1.सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

2.सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

3.समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र --------- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

4.समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग, मंडल --------- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

5. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग, खंड --------- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रमुख अभियंता